राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर

(वित्त–अंकेक्षण विभाग)

क्रमांक : एफ4/मुख्या./वित्त/अंके./2024/2576 दिनांकः–18.06.2024

परिपत्र

निगम कर्मचारियों को चयनित वेतनमान/A.C.P. का लाभ दिए जाने के लिए मुख्यालय द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए है, इस संबंध मे मुख्य-मुख्य बिंदुओं को ध्यान मे रखकर चयनित वेतनमान/A.C.P. का लाभ दिए जाने के लिए 3809 दिनांक 01.08.2023 भी जारी किया गया है। निगम के विभिन्न ईकाइयों मे कर्मचारियों के सेवाभिलेख/ सेवापुस्तिकाओं की आंतरिक अंकेक्षण दलों द्वारा जांच करने पर पाया गया है कि :-

1. कर्मचारियों की अवेतनिक (L.W.P./L.U.C.) अवकाश स्वीकृत किए बिना ही कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि/निश्चित वृत्ती बढ़ाव का लाभ दिया जा रहा है, जबकि A.C.P. नियमों मे स्पष्ट है कि एक भी L.W.P./L.U.C. स्वीकृति हेतु बकाया है तो A.G.I./A.C.P. का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अत: सभी सेवाभिलेख/सेवापुस्तिकाओं का पुनश्चय अवलोकन कर नियमानुसार अवकाश स्वीकृति किया जाना सुनिश्चित करावे, फिर भी कोई अवकाश बकाया रहता है तो इसके लिए प्रबंधक (प्रशा.) जिम्मेवार होगा।
2. यह भी देखने मे आया है कि कर्मचारियों को दिए गए आरोप पत्र/निर्णयों का इंद्राज सेवा पुस्तिकाओं मे नहीं हो रहा है या हो रहा है तो उसका प्रभाव वेतन निर्धारण मे नहीं डाला जा रहा है और ना ही A.C.P./चयनित वेतनमान स्वीकृति के समय डाला गया है। जिससे निगम को अनावश्यक वित्तीय भार वहन करना पड़ रहा है साथ ही दिए गए दंड का प्रभाव भी शून्य हो गया है। अत: प्रबंधक (प्रशा.) इस तरह के प्रकरणों की जांच कर नियमानुसार सेवाभिलेख मे इसका इंद्राज किया जाना सुनिश्चित करावे।
3. कर्मचारियों को A.C.P. का लाभ देते समय संबंधित कर्मचारी के संतानों की संख्या का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जबकि नियमानुसार स्पष्ट है कि दिनांक 01.06.2002 के बाद तीसरी संतान होने पर तत्कालीन नियमानुसार A.C.P. संशोधित होगी। अत: प्रबंधक (प्रशा.) कर्मचारी के सेवाभिलेख के आधार पर इस संबंध मे पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही इसका प्रमाणीकरण किया जाना सुनिश्चित करे।
4. बार-बार निर्देशों के बावजूद कर्मचारियों के जन्मदिनांक के प्रमाणीकरण पर पारदर्शी टेप नहीं लगाई जा रही है जिससे जन्मदिनांक मे हेराफेरी की पूर्ण संभावना रहती है। अत: प्रबंधक (प्रशा.) इसको भी सुनिश्चित करावे।
5. कर्मचारियों के A.C.P. स्वीकृति के समय कर्मचारियों द्वारा संतानों के संबंध मे गलत सूचना/शपथ पत्र पेश किया जा रहा है, उसका निशुल्क परिवार परिचय पत्र पंजिका से मिलान करे और गलत पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जावे। पूर्व मे दिए गए शपथ पत्रों का घोषणा पत्र मय बच्चों की जन्म दिनांक के प्रमाण सहित पुनः प्राप्त कर संबंधित कर्मचारी को गलती सुधारने का एक मौका दिया जा सकता है। इसके पश्चात भी कर्मचारी द्वारा गलत घोषणा दी जाती है तो कर्मचारी के विरुद्ध F.I.R. दर्ज करवाने की कार्यवाही अमल मे लाई जावे।

RajKaj Ref
8135714

Signature valid

Digitally signed by Ram Gopal Pareek
Designation : Financial Advisor
Date: 2024.06.18 16:34:00 IST
Reason: Approved

6. यह भी देखने मे आया है कि कर्मचारियों को दिए गए परिनिन्दा के दंड का प्रभाव चयनित वेतनमान/ A.C.P. मे नहीं डाला जा रहा है । इस हेतु आदेश क्रमांक 407 दिनांक 18.06.2012 एवं परिपत्र क्रमांक 3809 दिनांक 01.08.2023 की पूर्ण पालना की जावे एवं संबंधित कर्मचारी को दिए गए चयनित वेतनमान/ A.C.P. आदेशों को संशोधित किया जावे ।
7. कई जगह देखने मे यह आया है की कर्मचारियों को दिए गए आर्थिक दंड की वसूली नहीं की गई है । जिससे दंड का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है अत: वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावे ।
8. प्रतिवर्ष कर्मचारियों को परिवार परिचय पत्र जारी किए जाते है, बच्चों के परिचय पत्र जारी करते समय कर्मचारी से बच्चों के संबंध मे घोषणा पत्र मय जन्म दिनांक का प्रमाण भी लिया जावे ।
9. चयनित वेतनमान/ A.C.P. समिति का प्रबंधक (प्रशासन) सचिव सदस्य होता है । अत: भविष्य मे कर्मचारी के संबंध मे गलत तथ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर प्रबंधक (प्रशासन) पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी ।

सभी मुख्य प्रबंधकों को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कर्मचारी के सेवाभिलेख के अनुसार सेवापुस्तिका मे सभी दंडों का एवं बच्चों की संख्या का इंद्राज किए जाने की कार्यवाही तुरंत प्रभाव से शुरू की जावे एवं प्रत्येक माह के द्वितीय सोमवार को किए गए कार्य की सूचना मुख्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावे । जिसका प्रमाणीकरण प्रबंधक (प्रशा.) एवं मुख्य प्रबंधक द्वारा किया जाना अपेक्षित है ।

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : एफ4/मुख्या./वित्त/अंके./2024/<u>2576</u> दिनांकः—<u>18.06.2024</u>

<u>निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-</u>

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम मुख्यालय, जयपुर ।।
2. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, रा.रा.प.प.निगम मुख्यालय, जयपुर ।
3. निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक (प्रशा./याता./यांत्रिक/विधि), रा.रा.प.प.निगम मुख्यालय, जयपुर ।
4. महा प्रबंधक (वित्त)I/संयुक्त महा प्रबंधक (वित्त)I/उप महा प्रबंधक(वित्त) रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
5. उप महा प्रबंधक (आई.टी.), निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे ।
6. समस्त मुख्य प्रबंधक/मुख्य उत्पादन प्रबंधक रा.रा.प.प.निगम आगार । ।
7. आदेश /रक्षित पत्रावली ।

वित्तीय सलाहकार

RajKaj Ref
8135714

Signature valid
Digitally signed by Ram Gopal Pareek
Designation : Financial Advisor
Date: 2024.06.18 16:34:00 IST
Reason: Approved